

श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, इन्दौर

ज्योति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्चादित,
तर्फे अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पिता कचरूमल जवेरी
निवासी-46, शककर बाजार, इन्दौर

.... प्रार्थी

विरुद्ध

बलजीत सिंह पिता जसवंत सिंह साहनी,
निवासी- 80 विष्णुपुरी, इन्दौर

.... प्रतिवादी

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 के अन्तर्गत

प्रार्थी संस्था श्रीमान अपर कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा निगरानी
प्रकरण क्रमांक 05/निगरानी/2010-11 में दिनांक 29/06/2012 को
पारित आदेश जिसके द्वारा प्रार्थी संस्था की भूमि के सीमांकन को
निरस्त किया गया से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर यह आवेदन अन्य के
अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करती है

Handwritten signature

Handwritten signature
31/8/12

R-2962-PB/12

Handwritten notes
28/8/12

जोड़िए २६ / अर्जेंट
R 2962-PB/12 (अर्जेंट)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>15.12.2015</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री एस० ए० अर्जेंट अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री डी० आर० वास अभिभाषक उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>Not 15/12/15 N. Vas 15.12.15 अर्जेंट</p>